भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *114
दिनांक 10 दिसम्बर 2025 / 19 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा राहत निधि का आवंटन

***114 श्री हारिस बीरानः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राज्यों को आपदा राहत निधि का आवंटन करने से संबंधित कोई दिशानिर्देश हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निधि जारी करने से पूर्व संबंधित राज्यों के साथ कोई परामर्श किया है;

(ग) वायनाड आपदा के लिए केरल द्वारा मांगी गई निधि का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में केरल राज्य के वायनाड जिले में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, भारी वर्षा और आकस्मिक बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए गठित किये गए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों (आईएमसीटी) के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *114 दिनांक 10.12. 2025

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *114 दिनांक 10 दिसंबर, 2025 के उत्तर में वक्तव्य।

(क) और (ख): राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत राहत व्यय के वित्तपोषण की योजना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। इसके अलावा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता का वितरण दिशानिर्देशों और सहायता के मदों और मानदंडों द्वारा नियंत्रित होता है, जिन्हें राज्यों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की सहायता के ये दिशानिर्देश और मानदंड बिना किसी भेदभाव के पूरे भारत में लागू होते हैं, और ये गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://ndmindnia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध एसडीआरएफ से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए। केरल सहित सभी राज्यों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/responsefund पर उपलब्ध है।

वर्ष 2024 के दौरान केरल के वायनाड में भूस्खलन के मद्देनजर केरल राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना ही केंद्र सरकार द्वारा 02.08.2024 को एक आईएमसीटी का गठन किया गया। टीम द्वारा 8 अगस्त से 10 अगस्त, 2024 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा 153.47 करोड़ रुपये (एसडीआरएफखाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *114 दिनांक 10.12. 2025

के अधीन) की राशि, बचाव और राहत के लिए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के हेलीकॉप्टरों की सेवा का उपयोग करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक रूप में हवाई बिलों के लिए सहायता और मलबे की सफाई के लिए वास्तविक व्यय, की मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, केरल राज्य सरकार को एसडीआरएफ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 388.00 करोड़ रुपये (291.20 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 96.80 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) की राशि आवंटित की गई। केंद्रीय हिस्से की 145.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31.07.2024 को जारी की गई। केंद्रीय हिस्से की 145.60 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त भी 01.10.2024 को राज्य को अग्रिम रूप से जारी कर दी गई। इसके अलावा, महालेखाकार, केरल ने 1 अप्रैल, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 394.99 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा आपदा-पश्चात-आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) किया गया, जिसमें रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 2219.033 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। केंद्र सरकार ने केरल के पीडीएनए का आकलन करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दल (एमएसटी) का गठन किया था। एमएसटी के आकलन के आधार पर, भारत सरकार ने केरल राज्य के लिए एनडीआरएफ के अंतर्गत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विन्डो में निहित प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रों की रिकवरी और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं के लिए 260.56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की।

इसके अतिरिक्त, वायनाड भूस्खलन के पुनर्निर्माण और रिकवरी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार को 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' के अंतर्गत 249.18 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनआरएमपी) के अंतर्गत राज्य के लिए 72.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आजीविका से संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता लेने की सलाह दी गई है।

*****